

न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/96/2024

रजू दिनांक: 22.07.2024

रजि0 न0 2024/171

अपीलार्थी:-

Sh. Rushab Bhandari, R/o Behind
Rotary Primary Shcool, Ranennur,
Fatehpur, Jalore (Raj.)-581115

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0
जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 12.08.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 14.06.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 05.08.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र क्रमांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2024/1489 दिनांक 31.07.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा Online RTI Portal पर प्रस्तुत सूचना आवेदन क्रमांक 293089148680387 दिनांक 14.06.2024 के माध्यम से जुलाई, 2022 में ग्राम-मौजपुर, तहसील लक्ष्मणगढ़ में खुदाई के दौरान पाई जैन मूर्तियों के संबंध में विविध बिन्दुवार सूचना चाही गई थी। वांछित सूचना के संबंध में इस लोक प्राधिकरण/लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर जानकारी प्राप्त किए जाने पर वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित/उपलब्ध नहीं होने के कारण Online RTI Portal Despatch No. 3011012074 Date 26.07.2024 के माध्यम से विनिश्चय कर वांछित सूचना के संबंध में संग्रहालयाध्यक्ष, राजकीय संग्रहालय, अलवर के स्तर पर संपर्क स्थापित करने/आवेदन प्रस्तुत किए जाने बाबत आवेदक को सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि वांछित सूचना के संबंध में विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकारी अधि0 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(आशीष गुप्ता)
जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर अलवर
(रजि0)